प्रेस नोट ***18/12/2024***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000-20,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-12-2024 को मु0अ0सं0 715/2006, धारा 304/34/120B भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजेश पुत्र काशीनाथ यादव निवासी कबीरपुर थाना मुहम्मदाबाद, कमलेश पुत्र बद्रीनाथ, शैलेश पुत्र बद्रीनाथ निवासीगण मुस्कुरा थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹20,000-20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 04-04 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-12-2024 को मु0अ0सं0 131/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सुबाषचन्द्र सोनकर पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी सरायमेवागिरि थाना मधुबन जनपद मऊको कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-12-2024 को मु0अ0सं0 21/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त शशि पुत्र चन्द्रदेव निवासी करनपुर थाना मधुबन

जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।